C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. XX, Tenth Session, 2016/1938 (Saka)
No. 8, Friday, November 25, 2016/Agrahayana 4, 1938 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
REFERENCES BY THE SPEAKER	
(i) Constitution Day	6
(ii) 8th anniversary of terrorist attack in Mumbai on 26 November 2008	7
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question No. 141 and 142	10-24
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 143 to 160	25-106
Unstarred Question Nos. 1611 to 1840	107-511

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 513-529

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
14th Report 530

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT
13th Report 530

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS
10th Report 531

STATEMENT BY MINISTER
Status of implementation of the recommendations contained in the 32nd Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Ministry of Corporate Affairs.
Shri Arun Jaitley 531

BUSINESS OF THE HOUSE 532-537

OBSERVATION BY THE SPEAKER
Attempted contempt of the House by a person from public gallery 550

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 551

Member-wise Index to Unstarred Questions 552-557

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 558

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 559

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, November 25, 2016/Agrahayana 4, 1938 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

REFERENCES BY THE SPEAKER

(i) Constitution Day

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं, कल 26 नवंबर है, जिसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

26 नवंबर, 1949 को ही भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक नये युग की शुरूआत करते हुए 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ था। संविधान के एडॉप्शन के साथ ही हमारे देश के नागरिकों ने सबके लिए शांति, समता और प्रगति के महत्वपूर्ण लक्ष्य के साथ संवैधानिक, स्वशासी तथा आधुनिक भारत के एक नये युग में प्रवेश किया।

आइए, हम इस अवसर पर संविधान में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के अपने प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ करने का संकल्प लें।

11.02 hours

(ii) 8th Anniversary of terrorist attack in Mumbai on 26 November, 2008

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुम्बई में हुए निर्मम आतंकवादी हमले की आठवीं बरसी के अवसर पर यह सभा 26 नवंबर, 2008 को हुए हमले में मारे गए और गंभीर रूप से घायल होने वाले निर्दोष लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है।

नवंबर, 2009 में आज ही के दिन सभा ने आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर संघर्ष करने का संकल्प लिया था।

आज हम पुनः प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने देश से ओर पूरे विश्व से आतंकवाद की बुरी ताकतों को परास्त करने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। यह सभा आतंकवादी हमले का मुकाबला करते समय हमारे बहादुर सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस, शूरवीरता और निःस्वार्थ सेवा को पुनःस्मरण करती है। सभा इस हमले तथा आतंकवाद के शिकार हुए लोगों के परिवारों और उनके संबंधियों के साथ है।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर के लिए मौन रहेगी।

11.04 hours

(The Members then stood in silence for short while)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, कॉन्स्टीट्युशन के नये एडिशन का आपने इनोगुरेट किया तो उस वक्त ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको संविधान के बारे में बोलने के लिए 12 बजे समय दूंगी।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, मैं एडजर्नमेंट मोशन की बात नहीं कर रहा हूं।...(व्यवधान) मैं परमीशन लेकर बोल रहा हूं।...(व्यवधान)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): This is not the occasion. Members are waiting for the Question Hour. … (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, मैं केवल एक मिनट बोलूंगा, मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहता।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आप बात करोगे तो उन्हें भी अलाऊ करना पड़ेगा। मैं 12 बजे आपको अलाऊ करूंगी।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : कांस्टीट्यूशन डे के दिन प्राइम मिनिस्टर ऐसा कहते हैं, "Opposition is favouring black money and they were not prepared."

माननीय अध्यक्ष : मैं समझ गई, उसके बारे में मैं आपको 12 बजे अलाऊ करूंगी।

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will allow you at 12 o'clock, but not now. I will allow you after the Question Hour.

… (*Interruptions*)

11.06 hours

(*At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

11.07 hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Question No. 141.

Shrimati Kirron Kher.

(Q. 141)

SHRIMATI KIRRON KHER : Madam Speaker, out of the total Rs. 11,883 crore that has to be spent for Corporate Social Responsibility, companies have only spent Rs. 8,803 crore in the year 2014-15. While it is evident that there is a serious issue of non-compliance, it is crucial to monitor how the money allocated to Corporate Social Responsibility is utilised. … (*Interruptions*)

Therefore, will the Minister be pleased to state what mechanisms are put in place to evaluate whether the money spent by the companies as a part of Corporate Social Responsibility reaches its intended goal and, whether there is any regulatory body which checks how the funds are utilised? … (*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैडम, कंपनीज एक्ट के नियमों के नियम 135 के तहत सोशल कारपोरेट रेस्पोंसिबिलिटी का प्रावधान किया गया है।...(व्यवधान) उसके तहत कंपनियों को अपने प्रोफिट का दो परसैन्ट खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि कुछ कंपनियों ने इस पर खर्चा नहीं किया है तो इसकी मानिटरिंग कैसे करते हैं। देश में जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आर.ओ.सी. है, उन्होंने अब तक लगभग 496 कंपनियों को नोटिस दिया है।...(व्यवधान) नोटिस देने के बाद जो नॉन-कम्पलायंस की रिपोर्ट आयेगी, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। इसमें प्रक्रिया थोड़ी लम्बी है, लेकिन बहुत सी कंपनियों ने और पी.यू.सीज. ने खर्चा करना शुरू कर दिया है। अभी एक ही साल हुआ है और उसकी प्रगति काफी अच्छी है। ...(व्यवधान)

SHRIMATI KIRRON KHER : I would like to thank the hon. Minister. I would like to also say that an assessment of CSR expenditure of 7,334 companies for the year 2014-15 indicates that 4,195 companies did not incur any expenditure on CSR. … (*Interruptions*) PSUs are the bigger defaulters than private companies. The reasons given by the companies for not spending, includes 'suitable implementing agency not found', 'inability to formulate well-conceived CSR policy', etc. … (*Interruptions*)

In this regard, what are the initiatives taken by the National Foundation for Corporate Social Responsibility, NFCSR, which is the apex national institution that aims to facilitate the corporate sector to work in partnership with various organisations for active contribution towards sustainable growth and development? … (*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदया, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 226 पी.यू.सी. कंपनीज हैं, जिनमें से 142 कंपनियों ने एक्सपेंडिचर किया है और 84 कंपनीज ने कोई एक्सपेंडिचर नहीं किया है।...(व्यवधान) हमने उन्हें शो-कॉज नोटिस भेजा है, शो-कॉज नोटिस भेजने के बाद कंपनीज एक्ट में जो प्रावधान है, उसमें यह है कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, यह डिसक्लोजर करने का है।...(व्यवधान) अगर हमें ऐसा लगेगा तो शो-कॉज नोटिस का जो जवाब आयेगा, नेचुरल जस्टिस का प्रावधान हमें देना पड़ेगा, उन्हें सुनना पड़ेगा।...(व्यवधान) यदि उसके बाद लगेगा कि इन्होंने कंपनीज एक्ट में 134(8) के तहत कुछ अनियमितताएं की हैं तो निश्चित रूप से उन पर आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : अध्यक्ष महोदया, सी.एस.आर. किसी सरकार के माइंड की उपज नहीं थी। फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी, जिसका मैं मैम्बर था, मि.महताब, श्री गुरुदास दासगुप्ता और श्री यशवंत सिन्हा की सोच के आधार पर यह सी.एस.आर. बना।...(व्यवधान) सीएसआर के पीछे जो कारण था, वह यह था कि उसमें जो सैक्शन 135 (5) है, वह यह कह रहा है कि: "The extant provision under Section 135(5) that preference would be given to local areas and areas where the company operates, companies may also implement CSR at places other than local areas." लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य था कि हम लोग जिस एरिया से आते हैं, झारखण्ड से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, वहां माइनिंग बहुत होती है, लेकिन हम लोगों के एरिया में कोई विकास नहीं होता है।...(व्यवधान) इसी कारण से यह सीएसआर का कॉन्सेप्ट आया था।...(व्यवधान)

महोदया, सरकार ने यह जो रिपोर्ट दी है, इसमें कहा है, जैसे मेरा राज्य है झारखण्ड, इस देश का 40% माइन्स और मिनरल्स जिस राज्य में है, वहां सीएसआर में खर्च मात्र 86 करोड़ रूपये हुआ है।...(व्यवधान) 8803 करोड़ रूपये यदि सीएसआर में कंपनियों ने खर्च किया है तो हमारे राज्य में केवल 86 करोड़ रूपये खर्च हुआ है। इसका मतलब यह है कि जिन चीज़ों के आधार पर हमने सैक्शन - 135(5) बनाया, उसका कोई भी क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है।...(व्यवधान) दूसरा, ज्यादातर रूपये, लगभग 5500 करोड़ रूपये के आस-पास जो स्वच्छ भारत कोष में, वोकेशनल स्किल में या सोशली इकॉनोमिकली जा रहा है तो वह उन राज्यों में जा रहा है, जहां सीएसआर की आवश्यकता ही नहीं है, जो

राज्य अमीर हैं, वहां जा रहा है।...(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज़ के बाद, जिसके आधार पर यह सीएसआर बना है और जो हाई-लैवल कमेटी सरकार ने बनाई है, खास कर एफडीआई के आने के बाद, फॉरेन कंपनियों के लिए, जिसमें यह कहा गया कि क्लाज़ 75 ऑफ सीएबी-16 और सैक्शन-384 ऑफ 2, इसके बारे में भारत सरकार क्या रवैया अपना रही है और इसका फ्युचर का प्लान क्या हैi ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने वाकई बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जिस राज्य में जमीन गई, किसानों ने अपनी जमीन दी, उस राज्य में सीएसआर का पैसा खर्च नहीं हो कर किसी अन्य जगह पर खर्च हो जाए या जहां उनका कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहां खर्च हो जाए तो यह वाकई चिंता का विषय है।...(व्यवधान) माननीय सदस्य का जो सुझाव है, सरकार उसके आधार पर आगे की जो रणनीति होगी, जब हम विभाग में रिव्यू करेंगे और जो पीयूसीज़ हैं, उनके लिए डीपीई बना हुआ है, वहां रिव्यु करेंगे, तो इनके सुझावों को अंगीकार कर के उसके अनुसार कार्रवाई करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : माननीय अध्यक्ष महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ...(व्यवधान) देश की चाहे सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां हों, चाहे प्राइवेट कंपनियां हों, यह तय किया गया कि अगर वे लाभांश कमाती हैं, तो उस लाभ के अगेंस्ट कम से कम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस क्षेत्र के विकास के दायित्व का निर्वहन दो प्रतिशत के रूप में करें।...(व्यवधान) यह ठीक है कि प्राइवेट कंपनियों को तो नोटिस दे रहे हैं, लेकिन जो पीएसयूज़ लाभ में हैं, ऐसे कितने पीएसयूज़ हैं, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में, यह सैक्शन - 135(5) सन् 2013 से शुरू हुआ है, अभी तक दो प्रतिशत सीएसआर खर्च नहीं किया है, ऐसी कौन-कौन सी सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां हैंi ...(व्यवधान)

सांसद आदर्श ग्राम योजना में जो पैसा खर्च करने के लिए कहा गया, कितनी राशि सांसद आदर्श ग्राम योजना में खर्च हुई हैi ...(व्यवधान) मेरी जानकारी के हिसाब से कहीं भी, किसी भी सांसद आदर्श गांव में कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदया, जैसा मैंने जिक्र किया है कि कुल मिला कर 226 पीयूसी हैं। उनमें से 142 ने ही एक्पेंडीचर किया है और 84 ने नहीं किया है।...(व्यवधान) माननीय सदस्य ने पूछा है कि उनके लिए आपने क्या किया हैi हमने जो 496 नोटिसिज़ दिए हैं, उनमें प्राइवेट सैक्टर की कंपनियां भी सम्मिलित हैं।...(व्यवधान) प्राइवेट सैक्टर की कंपनियां अगर खर्चा नहीं करेंगी, जिस क्षेत्र में वे लगी हैं या जिस क्षेत्र में किसानों की जमीनें गई हैं तो डीपीई - डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइसिज़, पीयूसी और हमारा विभाग आदि सब मिल कर इसकी समीक्षा करेंगे।...(व्यवधान) इसका एक मैकेनिज्म तैयार हो रहा है। आने वाले समय में इसके सार्थक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ...(व्यवधान)

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN : My parliamentary constituency, Sambalpur, covers a number of mines and mineral industries. Implementation of CSR is a good step from the Government.

In my constituency, there are a number of industries and a lot of mining activities are going on there. … (*Interruptions*) Thousands of families have been displaced in my constituency, they have lost their land and they have been suffering like anything. … (*Interruptions*) But the CSR activity has not come to their rescue so far. … (*Interruptions*)

So, I want to know from the Government as to whether a special drive will be conducted in areas where CSR activities have not been implemented so far.… (*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदया, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो मैंने पहले कहा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (डीपीई) की गाइडलाइन्स हैं और जो हमारी, कारपोरेट अफेयर्स की गाइडलाइन्स हैं, उनके तहत जिन किसानों की जमीनें गयी हैं या जिस क्षेत्र में माइनिंग का काम हो रहा है और वहाँ वे सीएसआर का पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, हम उसको लागू करवाने का प्रयास करेंगे।...(व्यवधान)

(Q. 142)

SHRI PRALHAD JOSHI : Madam Speaker, a bold step has been taken by our Government under the dynamic leadership of our Prime Minister Narendra Modiji and Arun Jaitleyji for fighting black money. … (*Interruptions*) Not only India, but the entire world is appreciating that. … (*Interruptions*) Today, India has taken a historic step in fighting black money and fake currency and the entire world is supporting that. … (*Interruptions*) But unfortunately people who are having black money themselves are opposing it and are also disrupting the House. … (*Interruptions*) It is most unfortunate. … (*Interruptions*)

Madam, with the initiative taken by the Finance Ministry under *Jan Dhan Yojana*, a sizeable population has come under the banking network in our country. … (*Interruptions*) But still I feel there are a number of people who are outside the banking network and also digitalization in remote areas is yet to happen. … (*Interruptions*) With the cooperation of State Governments, to expand digitalization and also to end cash-based transactions in the country, I want to know what steps the Government is going to initiate. … (*Interruptions*) Then, what are the steps that the Government intends to take to promote to move towards a digital, cashless economy and to bring in a new phase in the development of the country?… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): Madam Speaker, the total effort of the Government is to see that the quantum of physical currency comes down, but trade and economy must expand and whatever comes down has to be substituted and further expanded by digital currency. … (*Interruptions*) This is a process which has been happening. … (*Interruptions*) For example, today there are 80 crore Debit Cards of various kinds which are already in circulation and 40 crore out of them are actively being used at the ATM machines. … (*Interruptions*) Now, E-Wallets, Debit Cards, Credit Cards, Digital Transfers - this is the future technology in relation to currency which the Government is encouraging it. … (*Interruptions*) Yesterday

only I had a conference with Chairpersons of all banks in India and asked them to promote digital currency in addition to the physical currency which is in place. … (*Interruptions*)

As far as the involvement of State Governments is concerned, we are going to request State Governments in this regard. … (*Interruptions*) The Government of Andhra Pradesh has taken an initiative and there the Collectors are also involved and they are working closely with the banks in order to ensure that digital transactions expand. … (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI : Madam, I thank the hon. Minister for elaborately replying to my question.

My second supplementary is, India has surpassed the United States of America to become the world's largest smart phone market in terms of active smart phone users crossing over 22 crores. … (*Interruptions*) The volume of transactions *via* mobile banking has doubled, going up from 18 crore in 2014-15 to 39 crore in 2015-16, as per an estimate of RBI. … (*Interruptions*) Transactions of m-wallet – a mobile phone app that allows cashless transactions – too have witnessed a jump in volume, touching 60.4 crore compared to 25.5 crore in 2014-15.

According to some estimates, a large scale adoption of digital finance would boost their GDP by six per cent… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Mr. Joshi, please put your supplementary.

SHRI PRALHAD JOSHI : Even the RBI, in a Consultation Paper, floated, titled 'Vision 2018' has proposed to encourage greater use of electronic payments by all sections of the society. But at the same time, it has also noted the need to develop an 'appropriate oversight framework for the new system' and 'augmenting the data reporting and fraud monitoring system.' … (*Interruptions*)

Keeping the same in mind, what are the steps taken to formulate a policy to build a supervisory mechanism for them? On some credit cards, specially, which

are outsourced, the user charges are very high. So, whether the Government is going to consider monitoring it and bring in a system for it … (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, as far as the user charges are concerned, this also depends on the extent of the user. As the volumes are going to expand, the rates are going to come down… (*Interruptions*) In any case, in order to encourage digital currency, the Government has made sure and requested the banks to waive off all the charges till the 31st of December, 2016; and the banks have already agreed to waive off the charges till 31st of December, 2016… (*Interruptions*)

I may also inform my friend that credit card is not the only mechanism. You have e-wallets; you have debit cards, which are used on the point-of-sales machines. They are also further used through various forms of smart phones; and as the telephone penetration in India and the use of smart phones and android phones increases, this process is also going to significantly expand… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You do not want to discuss anything! What is this going on?

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, this will not do; I am sorry.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 o' clock.

11.19 hours

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

———

12.02 hours

The Lok Sabha reassembled at Two Minutes past Twelve of the clock.

(Hon'ble Speaker *in the chair*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री एच.डी. देवगौड़ा, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री कमल नाथ, श्री के.सी. वेणुगोपाल, श्री सुदीप बंदोपाध्याय, श्री धर्मेन्द्र यादव, प्रो. सौगत राय, श्री जितेन्द्र चौधरी, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, श्री पी. करूणाकरण, मो. सलीम, मो. बदरूद्दोजा खान, श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचर, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, श्री जोस के. मणि और डॉ. ए. सम्पत की ओर से विभिन्न विषयों पर कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, परन्तु इनके लिए आज की सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसरों के माध्यम से भी उठाया जा सकता है।

इसलिए मैंने कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

...(व्यवधान)

12.03 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

… (*Interruptions*)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): महोदया, मैं श्री श्रीपाद येसो नाईक की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत ओषधि और प्रसाधन सामग्री (5वां संशोधन) नियम, 2016, जो 12 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 789(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. L.T. 5402/16/16)

… (*Interruptions*)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : -

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) न्यू इंडिया एंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यू इंडिया एंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No. L.T. 5403/16/16)

(ख) (एक) ओरिएटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओरिएटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No. L.T. 5404/16/16)

(2) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक - एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकक प्रतिवेदन और सार) विनियम, 2016 जो 9 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीए/रेग./10/122/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनिवेश) विनियम, 2016 जो 11 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीए/रेग./22/134/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षक और हानि आंकलनकर्ता) विनियम, 2015 जो 3 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीए/रेग./18/108/2015 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड से भिन्न विदेशी पुनःबीमाकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण और शाखा कार्यलयों का प्रचालन) विनियम, 2015 जो 23 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीए/रेग./17/107/2015 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड से भिन्न विदेशी पुनःबीमाकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण और शाखा कार्यलयों का प्रचालन) (पहला संशोधन) विनियम, 2016 जो 4 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीए/रेग./1/113/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(Placed in Library, See No. L.T. 5405/16/16)

(3) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सा.का.नि. 835(अ) जो 30 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 26/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 850(अ) जो 2 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 857(अ) जो 6 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 902(अ) जो 22 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा राज्य सरकार औद्योगिक विकास निगम/उपक्रम द्वारा औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक प्लाट का दीर्धकालिक (30 वर्ष या उससे अधिक का) पट्टा देकर उस सीमा तक सेवा कर अथवा एक बारगी तत्काल राशि (प्रीमियम, सलामी, लागत, मूल्य, विकास प्रभार अथवा किसी अन्य नाम की संज्ञा से) ऐसे पट्टे के लिए संदेय सेवा कर से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 28 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 923(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(Placed in Library, See No. L.T. 5406/16/16)

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) आय घोषणा स्कीम नियम, 2016 जो 19 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1831(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम नियम, 2016 जो 26 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1903(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) आय घोषणा स्कीम (संशोधन) नियम, 2016 जो 20 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2477(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) का.आ. 2478 (अ) जो 20 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राज्यों के जिले को उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के पहले परन्तुक के अंतर्गत पिछड़ा क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आय घोषणा स्कीम (दूसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 12 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2705(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) आय घोषणा स्कीम (तीसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 17 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2728(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) आयकर (25वां संशोधन) नियम, 2016 जो 5 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3150(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) आयकर (24वां संशोधन) नियम, 2016 जो 4 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3145(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) का.आ. 3078(अ) जो 29 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा 31 मार्च, 2015 की अधिसूचना का.आ. 892(अ) रद्द की गई तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) का.आ. 3079(अ) जो 29 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जो निर्धारण वर्ष 2017-2018 और परवर्ती निर्धारण वर्ष के लिए आय की गणना और प्रकटीकरण के लिए नये मानक के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) आयकर (23वां संशोधन) नियम, 2016 जो 29 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3080(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) का.आ. 3075 (अ) जो 28 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के जिलों को उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के पहले परन्तुक के अंतर्गत पिछड़ा क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) आयकर (14वां संशोधन) नियम, 2016 जो 2 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1949(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) आयकर (15वां संशोधन) नियम, 2016 जो 20 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2151(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) आयकर (18वां संशोधन) नियम, 2016 जो 27 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2213(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) आयकर (20वां संशोधन) नियम, 2016 जो 9 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2671(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) आयकर (21वां संशोधन) नियम, 2016 जो 19 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2747(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(Placed in Library, See No. L.T. 5407/16/16)

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2439(अ) जो 15 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) अधिसूचना सं. 102/2016-सी.शु.(एन.टी) जो 21 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 2564(अ) जो 29 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) अधिसूचना सं. 105/2016-सी.शु.(एन.टी) जो 3 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) अधिसूचना सं. 106/2016-सी.शु.(एन.टी) जो 4 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में

संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 2707(अ) जो 12 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) अधिसूचना सं. 112/2016-सी.शु.(एन.टी) जो 18 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) अधिसूचना सं. 117/2016-सी.शु.(एन.टी) जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ. 2822(अ) जो 31 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) अधिसूचना सं. 119/2016-सी.शु.(एन.टी) जो 1 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का.आ. 2945(अ) जो 15 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) अधिसूचना सं. 121/2016-सी.शु.(एन.टी) जो 15 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) अधिसूचना सं. 122/2016-सी.शु.(एन.टी) जो 22 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ

कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का.आ. 3102(अ) जो 30 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) अधिसूचना सं. 124/2016-सी.शु.(एन.टी) जो 6 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ. 3205(अ) जो 14 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) अधिसूचना सं. 127/2016-सी.शु.(एन.टी) जो 20 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) का.आ. 3351(अ) जो 31 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) अधिसूचना सं. 136/2016-सी.शु.(एन.टी) जो 3 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 937(अ) जो 3 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 813(अ) जो 23 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना सं. 96/2008-सी.सु. में कतिपय

संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 851(अ) जो 2 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सी.सु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 873(अ) जो 8 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सी.सु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 891(अ) जो 16 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सी.सु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि. 901(अ) जो 22 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सी.सु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि. 909(अ) जो 23 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सी.सु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताइस) सा.का.नि. 931(अ) जो 29 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सी.सु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठाइस) सा.का.नि. 947(अ) जो 3 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सी.सु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा.का.नि. 907(अ) जो 23 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.का.नि. 795(अ) जो 13 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 4.04ए में वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित विशेष अग्रिम प्राधिकरण स्कीम जिसके संदर्भ में फैब्रिक को कतिपय शर्तों के

अध्यधीन विनिर्मित और निर्यातित गारमेंट में शमिल किया जाना है, के अंतर्गत केवल फैब्रिक (इंटरलाइनिंग सहित) का ड्यूटी फ्री आयात को लागू किए जाने के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्तीस) का.आ. 2566(अ) जो 29 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003-सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बतीस) सा.का.नि. 948(अ) जो 3 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 दिसम्बर, 1996 की अधिसूचना सं. 94/96-सी.सु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. L.T. 5408/16/16)

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनिमय, 1944 और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर त्रुटि (संशोधन) नियम, 2016 जो 31 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 1019(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 1018(अ) जो 31 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में में प्रकाशित हुए थे तथा जो निर्यातित वस्तुओं की विनिर्माण में इनपुट सेवा के रूप में प्रयुक्त इनपुट या कर योग्य सेवा के रूप में प्रयुक्त आयातित सामग्री अथवा उत्पाद योग्य सामग्री पर प्रभारित सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा सेवा कर, जैसा भी मामला हो, की औसत छूट हैं। त्रुटि की सभी औद्योगिक दरों में संशोधन के बारे में हैं, एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 996(अ) जो 13 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 नवम्बर, 1996 की अधिसूचना सं. 110/2015-सी.सु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. L.T. 5409/16/16)

(7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 935(अ) जो 30 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66बी के अधीन शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ऐसी संस्थाओं के विद्यार्थियों, शिक्षक और स्टाफ को 1.4.2013 से 10.7.2014 की अवधि के लिए परिवहन सेवाओं पर संदेय सेवा कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 914(अ) जो 26 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनियों द्वारा 1.7.2012 से 20.10.2015 तक प्रदत्त योग उन्नयन के माध्यम से परिवहन सेवा पर संदेय सेवा कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 823(अ) जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सी.सु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 852(अ) जो 2 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सी.सु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 874(अ) जो 8 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सी.सु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. L.T. 5410/16/16)

(2) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) सा.का.नि. 760(अ) जो 2 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पोलीटेरा फलूरो इथलिन (पीटीएफई) के आयात पर अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क की लेवी एक साल की ओर

अवधि अर्थात् 23 अगस्त, 2017 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है, बढ़ाया जाना है।

(दो) सा.का.नि. 762(अ) जो 4 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सिलाई मशीन की सुई के आयात पर अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क की लेवी एक साल की ओर अवधि अर्थात् 21 जून, 2017 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है, बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 763(अ) जो 4 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य और यूएई में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ओपल ग्लास वेयर के आयात पर अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क की लेवी एक साल की ओर अवधि अर्थात् 8 अगस्त, 2017 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है, बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 769(अ) जो 5 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीआईएफ आधार पर निर्यात मूल्य जिसपर अथवा जिसके ऊपर सुरक्षोपाय शुल्क 'हॉट राल्ट फलैट प्रोडक्ड्स आफ नान एलाय एंड अदर अलाय स्टील इन कॉयल्स आफ विथ आफ 600 एमएम और मोर' प्रयोज्य नहीं होगा, विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 773(अ) जो 8 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाईट्रेट के आयात पर अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क की लेवी एक साल की ओर अवधि अर्थात् 16 अगस्त, 2017 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है, बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 774(अ) जो 8 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कतिपय रबर कैमिकल अर्थात् डाईबैंजोथियाजोल डायसल्फाइड (एमबीटीएस) के आयात पर अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क की लेवी एक साल की ओर अवधि अर्थात् 19 अक्तूबर, 2017 तक जिसमें वह

दिन भी शामिल है, बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 775(अ) जो 8 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मैसर्स हैनिन टियाफू वार्प निटिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य और मैसर्स मन्ना, कोरिया जनवादी गणराज्य द्वारा उत्पादित पीवीसी फलैक्स फिल्म का भारत कें आयात जिसका उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं के अनुसरण में अंनतिम मूल्यांकन किया गया है, के अंनतिम मूल्यांकन का अंतिम रूप विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 776(अ) जो 8 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही प्रतिपाटन अन्वेषण के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पीबीसी फलैक्स फिल्म पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क, अध्यारोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 777(अ) जो 8 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही प्रतिपाटन अन्वेषण के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और इंडोनेशिया में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित बम्बू फाइबर को छोड़कर विश्कोस स्टैपल फाइबर पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क, अध्यारोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 778(अ) जो 8 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के पदाभिहित प्राधिकारी के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसरण में द्वारा की जा रही प्रतिपाटन अन्वेषण के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, जापान, कोरिया जनवादी गणराज्य, रूस, ब्राजील और इंडोनेशिया में उद्भूत अथवा वहां से 'हॉट राल्ट फलैट प्रोडक्ड्स आफ नान एलाय एंड अदर अलाय स्टील पर छह माह की अवधि के लिए विहित रूप में निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क, लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 799(अ) जो 17 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के पदाभिहित प्राधिकारी के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसरण में द्वारा की जा रही प्रतिपाटन अन्वेषण के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में चीन, जापान, कोरिया और जनवादी गणराज्य और यूक्रेन, में उद्भूत अथवा वहां से 'कोल्ड राल्ड फलैट प्रोडक्ड्स आफ नान एलाय एंड अदर अलाय स्टील पर छह माह की अवधि के लिए विहित रूप में निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क, लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 806(अ) जो 19 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीनी ताइपेई में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयात पर अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क की लेवी एक साल की ओर अवधि अर्थात् 22 अगस्त 2017 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है, बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। थाईलैंड और नार्वे में उद्भूत अथवा से निर्यातित कास्टिग सोडा के आयात पर लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क को नामित प्राधिकारी की सिफारिश पर व्यपगत होने की अनुमति दी गई है।

(तेरह) सा.का.नि. 807(अ) जो 19 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित आई-फिनाइल-3 मिथाइल-5 पइराजोनोल के आयात पर अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क की लेवी एक साल की ओर अवधि अर्थात् 23 अगस्त 2017 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है, बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 846(अ) जो 1 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के शीर्ष 7091 के अंतर्गत चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत और वहां से निर्यातित ''ग्लास और तत्संबंधी वस्तुएं'' पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 864(अ) जो 7 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पारा नाइट्रोनिलिन के आयात पर अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क की लेवी एक साल की ओर अवधि अर्थात् 8 सितम्बर, 2017 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है, बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 960(अ) जो 6 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विनिर्दिष्ट नैरो वोविन (हुक एंड लूप वेल्क्रो टेप्स) के आयात पर अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क की लेवी पांच साल की अवधि तक लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. L.T. 5411/16/16)

(9) 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उनपर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन :-

i. आंध्र ग्रामीण विकास बैंक वारंगल (Placed in Library, See No. L.T. 5412/16/16)

ii. आंध्र प्रगति बैंक, कड़प्पा (Placed in Library, See No. L.T. 5413/16/16)

iii. अरूणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, नहरलागुन

(Placed in Library, See No. L.T. 5414/16/16)

iv. असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी (Placed in Library, See No. L.T. 5415/16/16)

v. बगिया ग्रामीण विकास बैंक, मुर्शीदाबाद (Placed in Library, See No. L.T. 5416/16/16)

vi. बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अजमेर

(Placed in Library, See No. L.T. 5417/16/16)

vii. बडोदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, रायबरेली (Placed in Library, See No. L.T. 5418/16/16)

viii. बिहार ग्रामीण बैंक, बेगुसराय (Placed in Library, See No. L.T. 5419/16/16)

ix. सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा (Placed in Library, See No. L.T. 5420/16/16)

x. चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर (Placed in Library, See No. L.T. 5421/16/16)

xi. देना गुजरात ग्रामीण बैंक, गांधीनगर (Placed in Library, See No. L.T. 5422/16/16)

xii. ग्रामीण बैंक आफ आर्यावत, लखनऊ (Placed in Library, See No. L.T. 5423/16/16)

xiii. हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी (Placed in Library, See No. L.T. 5424/16/16)

xiv. झारखण्ड ग्रामीण बैंक, रांची (Placed in Library, See No. L.T. 5425/16/16)

xv. जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक, जम्मू (Placed in Library, See No. L.T. 5426/16/16)

xvi. कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़ (Placed in Library, See No. L.T. 5427/16/16)

xvii. कांशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, वाराणसी (Placed in Library, See No. L.T. 5428/16/16)

xviii. कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर (Placed in Library, See No. L.T. 5429/16/16)

xix. केरल ग्रामीण बैंक, मल्लापुरम् (Placed in Library, See No. L.T. 5430/16/16)

xx. लांगपी देहांगी ग्रामीण बैंक, डिफू (Placed in Library, See No. L.T. 5431/16/16)

xxi. मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सागर (Placed in Library, See No. L.T. 5432/16/16)

xxii. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद (Placed in Library, See No. L.T. 5433/16/16)

xxiii. मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर (Placed in Library, See No. L.T. 5434/16/16)

xxiv. मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल (Placed in Library, See No. L.T. 5435/16/16)

xxv. मिजोरम ग्रामीण बैंक, आईजोल (Placed in Library, See No. L.T. 5436/16/16)

xxvi. नागालैंड ग्रामीण बैंक, कोहिमा (Placed in Library, See No. L.T. 5437/16/16)

xxvii. नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक, इंदौर (Placed in Library, See No. L.T. 5438/16/16)

xxviii. उड़ीसा ग्राम्य बैंक, भुवनेश्वर (Placed in Library ,See No. L.T. 5439/16/16)

xxix. पलवन ग्राम बैंक, सेलम (Placed in Library, See No. L.T. 5440/16/16)

xxx. पांडियान ग्राम बैंक, विरूधुनगर (Placed in Library, See No. L.T. 5441/16/16)

xxxi. पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक, हावडा (Placed in Library, See No. L.T. 5442/16/16)

xxxii. प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक, बेलारी (Placed in Library, See No. L.T. 5443/16/16)

xxxiii. प्रथमा बैंक, मुरादाबाद (Placed in Library, See No. L.T. 5444/16/16)

xxxiv. पुडुवई भर्थियार ग्राम बैंक, पुडुचेरी (Placed in Library, See No. L.T. 5445/16/16)

xxxv. पूर्वांचल बैंक, गोरखपुर (Placed in Library, See No. L.T. 5446/16/16)

xxxvi. पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला (Placed in Library, See No. L.T. 5447/16/16)

xxxvii. राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक, जोधपुर (Placed in Library, See No. L.T. 5448/16/16)

xxxviii. सप्तगिरि ग्रामीण बैंक, चित्तूर (Placed in Library, See No. L.T. 5449/16/16)

xxxix. सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक, मेरठ (Placed in Library, See No. L.T. 5450/16/16)

xl. सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक (Placed in Library, See No. L.T. 5451/16/16)

xli. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट (Placed in Library, See No. L.T. 5452/16/16)

xlii. सतलज ग्रामीण बैंक, भटिंडा (Placed in Library, See No. L.T. 5453/16/16)

xliii. तेलंगाना ग्रामीण बैंक, हैदराबाद (Placed in Library, See No. L.T. 5454/16/16)

xliv. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला (Placed in Library, See No. L.T. 5455/16/16)

xlv. उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहर (Placed in Library, See No. L.T. 5456/16/16)

xlvi. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (Placed in Library, See No. L.T. 5457/16/16)

xlvii. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, देहरादून (Placed in Library, See No. L.T. 5458/16/16)

xlviii. वनांचल ग्रामीण बैंक, देहरादून (Placed in Library, See No. L.T. 5459/16/16)

xlix. विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक, नागपुर (Placed in Library, See No. L.T. 5460/16/16)

(10) भारतीय महिला बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेंजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(Placed in Library, See No. L.T. 5461/16/16)

(11) भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण और कार्यकलाप के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(Placed in Library, See No. L.T. 5462/16/16)

(12) धन शोधन निर्वारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत धन शोधन निर्वारण (जब्त संपत्ति की बहाली) नियम, 2016, जो 26 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 913(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. L.T. 5463/16/16)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदया, मैं श्री अर्जुन राम मेघवाल जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : -

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण(चेयरपर्सन और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की निर्बन्धन और शर्ते) नियम, 2015 जो 21 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 728(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण(चेयरपर्सन और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की

निर्बन्धन और शर्तें) नियम, 2015 जो 21 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 729(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. L.T. 5464/16/16)

(3) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड आधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) प्रतिभूति संविदा (विनियम) (स्टॉक एक्सचेंज और निकासी निगम)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, जो 29 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडीएनआरओ/जीएन/2016-17/011 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (दायित्वों और प्रकटीकरण अपेक्षाओं को सूचीबद्ध करना) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, जो 8 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडीएनआरओ/जीएन/2016-17/008 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन)विनियम, 2016, जो 8 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडीएनआरओ/जीएन/2016-17/009 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाही का निस्तारण) (संशोधन) विनियम, 2016, जो 29 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडीएनआरओ/जीएन/2016-17/010 में प्रकाशित हुए थे।

(Placed in Library, See No. L.T. 5465/16/16)

(4) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम (13वां संशोधन) विनियम, 2016 जो 9 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 879(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम (11वां संशोधन) विनियम, 2016 जो 24 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1002(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम (12वां संशोधन) विनियम, 2016 जो 24 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1003(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पति संविदा) (संशोधन) विनियम, 2016 जो 25 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1005(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंध भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम (10वां संशोधन) विनियम, 2016 जो 27 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1015(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(Placed in Library, See No. L.T. 5466/16/16)

(5) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 869(अ) जो 8 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1 अप्रैल, 2016 को जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 389(अ) का शुद्धीपत्र दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. L.T. 5467/16/16)

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MANOHAR PARRIKAR): Madam, on behalf of Dr. Subhash Ramrao Bhamre, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling, for the year 2015-2016.

(Placed in Library, See No. L.T. 5468/16/16)

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi, for the year 2015-2016.

(Placed in Library, See No. L.T. 5469/16/16)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports, Pahalgam, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports, Pahalgam, for the year 2015-2016.

(Placed in Library, See No. L.T. 5470/16/16)

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Mountaineering and Allied Sports, Dirang, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Mountaineering and Allied Sports, Dirang, for the year 2015-2016.

(Placed in Library, See No. L.T. 5471/16/16)

(5) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the BEML Limited, Bangalore, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the BEML Limited, Bangalore, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. L.T. 5472/16/16)

(6) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the BEML Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2016-2017.

(Placed in Library See No. L.T. 5473/16/16)

… (*Interruptions*)

12.04 hours

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
14th Report

श्री शान्ता कुमार (कांगड़ा) : महोदया, मैं 'चुने हुए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2015-2016) के 8वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 14वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

… (*Interruptions*)

12.04 ½ hours

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT
13th Report

DR. SATYA PAL SINGH (BAGHPAT): Hon. Madam, I beg to present the Thirteenth Report (Hindi and English versions) of the Joint Committee on Offices of Profit.

… (*Interruptions*)

12.05 hours

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS
10th Report

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): I beg to present the Tenth Report* (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Railways (2015-16) on the subject 'Pending Projects'.… (*Interruptions*)

———

… (*Interruptions*)

* The Tenth Report of the Standing Committee on Railways (2015-16) was presented to Hon'ble Speaker, Lok Sabha on 31.08.2016 under Direction 71A of the Directions by the Speaker, Lok Sabha. Hon'ble Speaker has accorded permission for printing, publication and circulation of the Report before it is presented/laid in the House under Rule 280 of the Rules of the Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha on 31.08.2016.

12.06 hours

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 32nd Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Ministry of Corporate Affairs *

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 32nd Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Ministry of Corporate Affairs. … (*Interruptions*)

12.07 hours

(*At this stage, Shri Kodikunnil Suresh, Shri Mohammad Salim and some other hon. Members came and stood on the floor and near the Table.)*

* Laid on the Table.

12.07½ hours

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): Hon. Madam, I make a statement regarding Government Business during the week commencing the 28th November, 2016.

*Government Business during the week commencing Monday, the 28th of November, 2016 will consist of:-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper: - *[It contains Consideration and passing of (a) The Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Bill, 2016, (b) The Mental Healthcare Bill, 2016, as passed by Rajya Sabha]*
2. Consideration and passing of the Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2016 as passed by Rajya Sabha.
3. Consideration and passing of the Surrogacy (Regulation) Bill, 2016.
4. Consideration and passing of the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Bill, 2014, after it is passed by Rajya Sabha. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Submissions by Members.

Dr. A. Sampath – not present.

Shri Om Birla – not present.

Dr. Udit Raj

… (*Interruptions*)

---

* Laid on the Table

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : महोदया, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे लोक महत्व के निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए:-

दिल्ली का मास्टर प्लान वर्ष 2007 में नोटिफाई हुआ था। ...(व्यवधान) 2013 में अर्बन डैवलपमैंट मिनिस्ट्री ने लैंड पूल पॉलिसी को डिक्लेयर किया और 2015 में इम्प्लीमैंटेशन करने के लिए कहा गया। हम मांग करते हैं कि लैंड पूल पॉलिसी फौरन इम्प्लीमैंट की जाए जिससे लगभग 10 बिलियन डालर का इन्वैस्टमैंट होगा। ...(व्यवधान) दिल्ली का यह एरिया नरेला, बवाना, नजफगढ़ के साइड में है जो लैंड पूल पॉलिसी में आएगा। इससे वहां के गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और हाउसिंग प्रॉब्लम, क्योंकि 2021 तक वहां 2.36 करोड़ तक पौपुलेशन होगी।...(व्यवधान)

1946 में चमार रैजिमैंट डिसकंटीन्यू हुआ। ...(व्यवधान) कहा जाता है कि जाति के नाम पर आर्मी में रैजिमैंट नहीं होना चाहिए। मैं इससे सहमत हूं। फिर राजपूत रैजिमैंट क्यों है, डोगरा रैजिमैंट क्यों हैi चमार रैजिमैंट होना चाहिए, खटीक रैजिमैंट होना चाहिए, बाल्मीकि रैजिमैंट होना चाहिए, धनकर होना चाहिए।...(व्यवधान) मैं मांग करता हूं कि इन रैजिमैंटों को भी आर्मी में क्रिएट किया जाए ताकि इनकी भागीदारी हो सके।...(व्यवधान)

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोक महत्व के निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए:-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर अंतर्गत आदित्यपुर सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ-साथ यहां पर स्थित छोटे-बड़े हजारों उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एकमात्र ईएसआईसी अस्पताल आदित्यपुर है।...(व्यवधान) इसमें मजदूरों के रजिस्ट्रेशनों की संख्या 1,70,000 (एक लाख सत्तर हजार) आईपी है। ...(व्यवधान) मजदूरों की संख्या को देखते हुए 150 बेड़ों की संख्या को बढ़ाते हुए 250 बेड वाले अस्पताल का निर्माण किया जाए।...(व्यवधान)

2. मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर (टाटा) एक औद्योगिक क्षेत्र है। यहां पर टाटा, टिसको, उषामार्टिन, टीनप्लेट, ट्यूब इत्यादि दर्जनों बड़े उद्योग लगे हुए हैं और लगभग हजारों छोटे-मझोले उद्योगों के लगे होने के कारण प्रतिदिन देश-विदेश से लोगों को उद्योग संबंधी कार्यों से आना-जाना लगा रहता है। यहां पर पासपोर्ट सेवा केन्द्र का लघु केन्द्र खोलने की कृपा की जाए।...(व्यवधान)

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : महोदया, देश में कोयले सहित विभिन्न कच्चे माल के परिवहन हेतु माल भाड़ा प्रभार को तर्कसंगत बनाए जाने की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा।...(व्यवधान) मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि वर्तमान में कोयले का माल भाड़ा प्रभार गुजरात के पावर प्लांट में ऊर्जा उत्पादन में कुल 60 से 65 फीसदी ईंधन व्यय का कारक है जिसके चलते उत्पादित ऊर्जा की दर ऊंची रहती है।...(व्यवधान)

इसी संदर्भ में मैं केन्द्र सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या गुजरात के पूर्वी क्षेत्र से दूरस्थ स्थित पावर प्लांटों (पश्चिमी क्षेत्र में स्थित) को कोयले सहित विभिन्न कच्चे माल के परिवहन हेतु माल भाड़ा को तर्कसंगत बनाए जाने हेतु कोई योजना हैं...(व्यवधान) क्या पैसेंजर भाड़े की तर्ज पर रेलवे में माल भाड़े के लिए भी टेलिस्कोपिक फ्रेट प्रारंभ किए जाने की कोई योजना हैं...(व्यवधान)

गुजरात के भावनगर जिले में गारियाधार नामक तालुका है जो मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है, जिसकी आबादी 2 लाख है।...(व्यवधान) लेकिन आज तक वहां पर रेलवे लाइन तक नहीं बिछाई गई है जबकि नई लाइन हेतु विभाग द्वारा सर्वे कराकर पश्चिम रेलवे मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। ...(व्यवधान) पालिताना जैन धर्म का तीर्थ स्थन होने के कारण वहां लोग देश-विदेश से पर्यटक के तौर पर आते रहते हैं। महोदया, मेरी आपसे विनती है कि इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द मंजूरी प्रदान की जाए।...(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में मेरे निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए।

1. गिरिडीह संयुक्त झारखंड बिहार का प्राचीन ऐतिहासिक और पर्यटक आदि महत्व का शहर है। अतः उक्त शहर को स्मार्ट सिटी शहर के रूप में शामिल करने की आवश्यकता।
2. गिरिडीह एक प्राचीन शहर है, जिसके कारण इस शहर में जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के कारण शहर में जाम की स्थिति से उत्पन्न जनसंख्या से निपटने के लिए गिरिडीह में रिंग रोड निर्माण की आवश्यकता है। ...(व्यवधान)

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदया, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में मेरे निम्नांकित दो विषयों को सम्मिलित किया जाए।

1. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज देश के नागरिकों की आशाएं और आकांक्षाएं दर्शाता है। यह न केवल हमारे राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है बल्कि देश की प्रतिष्ठा और सम्मान का भी प्रतीक है। अतः देश के किसी क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर के राजनैतिक दल के द्वारा भारतीय झंडे के मध्य में अथवा उसके किसी भी हिस्से में अपना चुनाव चिन्ह प्रदर्शित करके उसका निजी उपयोग न किए जाने से संबंधित विषय।
2. महाराष्ट्र सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को राज्य के बृहन्मुंबई में पर्जन्य जल वाहिनी प्रणाली (वाटर डिस्पोजल सिस्टम) हेतु प्रस्ताव भेजा गया था, जो ग्रेटर मुंबई से संबंधित है। केन्द्र सरकार ने एमसीजीएम को 1200 करोड़ की निधि रिलीज की है और इससे संबंधित यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केन्द्र सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अग्रेषित की गई संशोधित प्रकल्प राशि शीघ्र जारी किए जाने से संबंधित विषय। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री सुशील कुमार सिंह - उपस्थित नहीं।

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में मेरे निम्नांकित विषयों को शामिल किया जाएः

1. गत अनेक वर्षों से देश में बड़े पैमाने पर जो कालाधन उत्पन्न हो गया है और इस कालेधन का उपयोग भ्रष्टाचार, आतंकवादी और नक्सली गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु बड़ी मात्रा में हो रहा है। कालेधन दुष्प्रभाव रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा रुपये 500 और 1000 रुपये के बड़े मूल्य के नोट को रद्द करने का जो सकारात्मक कदम उठाया गया है इस निर्णय पर चर्चा के लिए आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

2. संविधान की आठवीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में बाईस भाषाएं शामिल हैं। भाषाओं से लोगों की शिक्षा, संस्कृति तथा बौद्धिकता का विकास होता है। भाषा न केवल संचार का एक माध्यम है अपितु सम्मान का एक प्रतीक भी है। भाषा इतिहास, संस्कृति, जनता, शासन की प्रणाली, पारिस्थिति की, राजनीति आदि को भी दर्शाती है।

लम्बे समय से आठवीं अनुसूची में मान्यता के लिए कई भाषाओं की मांग की जा रही है। करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाने वाली भोजपुरी, मगही, राजस्थानी और उरांव भाषाओं के संवर्धन समेकन और सशक्तीकरण के लिए इन भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल के विषय को चर्चा के लिए आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए। ...(व्यवधान)

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : माननीय अध्यक्ष, अगले सप्ताह की कार्यसूची में मेरे निम्नांकित विषयों को शामिल किया जाएः

1. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरूआत की थी। उस समय हरियाणा में 1000 लड़कों के पीछे 837 लड़कियां थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने प्रधानमंत्री जी के इस अभियान को एक चुनौती के रूप में लिया है जिसके परिणामस्वरूप आज हरियाणा में 1000 लड़कों के पीछे 914 लड़कियों का आंकड़ा हो गया है। अब इसे कम से कम 950 तक ले जाने का संकल्प किया गया है। मैं मांग करता हूं कि हरियाणा की तर्ज पर सारे देश में यह अभियान चलाया जाए और आगामी सदन में इस विषय पर चर्चा कराई जाए।
2. मैं इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा ने 1 नवम्बर को अपना स्वर्ण जयंती समारोह मनाया है। इस वर्ष में हरियाणा प्रदेश में सैकड़ों नए कार्यों की शुरूआत हुई है। हमने हरियाणा के स्वर्ण जयंती वर्ष को हरियाणा कैरोसीन मुक्त करने का संकल्प लिया है जिसकी शुरूआत केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी ने पानीपत में ही उज्ज्वला योजना के तहत हरियाणा में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में की है। मैं मांग करता हूं कि हरियाणा की तर्ज पर सारे देश में अभियान चलाया जाए और आगामी सदन में इस विषय पर चर्चा कराई जाए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब शून्य काल शुरु करेंगे क्योंकि आठ दिन से सदस्य अपने क्षेत्र की बात सदन में नहीं रख पाए हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप जिस तरह से चिल्ला रहे हैं, I will not allow anybody. Now, Shri Nihal Chand.

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं केंद्र सरकार का ध्यान सतलुज नदी की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां हरि के बांध से राजस्थान के लिए इंदिरा गांधी नहर निकली है। अमृतसर, लुधियाना, तरनतारन की फैक्ट्रियों से गंदा पानी राजस्थान कैनाल में आ रहा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप चिल्लाएं और आपके नेताओं को बोलने भी दिया जाए, दोनों बातें नहीं होंगी।

...(व्यवधान)

श्री निहाल चन्द: राजस्थान में भिन्न-भिन्न बीमारियां हो रही हैं। फैक्ट्रियों का गंदा कैमिकल युक्त पानी राजस्थान कैनाल में आ रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप कागज भी फाड़ेंगे और चिल्लाएंगे। You will do everything and then you will ask me. No.

... (*Interruptions*)

श्री निहाल चन्द: इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी राजस्थान कैनाल में आ रहा है, इससे गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। पीलिया, कैंसर और थायराइड जैसी गंभीर बीमारियां राजस्थान में फैल रही हैं। ...(व्यवधान)

मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन है कि पंजाब की फैक्ट्रियों के गंदे पानी को रोका जाए ताकि राजस्थान प्रदेश गंभीर बीमारियों से बच सके।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री शरद त्रिपाठी को श्री निहाल चन्द द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में म्युनिसिपल चुनाव आने वाले हैं। म्युनिसिपल वाड्र्स की संख्या 272 है। इस बीच में दिल्ली की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ी है और बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण वाड्र्स को दोबारा रेखांकित किया गया है। इस बात के बावजूद म्युनिसिपल एरिया केवल जो स्थापित कालोनियां हैं, वहां होता है। ...(व्यवधान) आउटर दिल्ली जैसी जगह पर अनआर्गेनाइज, इरैगुलर और अनआथोराइज कालोनियां हैं और वहां वाड्र्स की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। मेरे क्षेत्र में जहां एस्टेबलिश कालोनियां हैं, वहां म्युनिसिपल वाड्र्स की संख्या को बहुत अधिक मात्रा में घटाया जा रहा है।...(व्यवधान) इस कारण प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत बड़ी दुविधा होने वाली है। जिन क्षेत्रों में म्युनिसिपल कार्पोरेशन का अधिकार नहीं है, वहां नंबर बढ़ाए जा रहे हैं और जहां म्युनिसिपल कार्पोरेशन का अधिकार है, वहां नंबर घटाया जा रहा है। पहले ही पूरे राज्य की व्यवस्था अव्यवस्थित है, इससे और अव्यवस्था बढ़ेगी। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए कि म्युनिसिपल वाड्र्स की संख्या को बढ़ाया जाए। … (*Interruptions*) There is nothing sacrosanct about 272 number. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ. किरीट पी. सोलंकी को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

12.18 hours

(At this stage Dr. Kakoli Ghosh Dastidar and some other hon. Members went back to their seats)

श्री राम टहल चौधरी (राँची) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने लोकसभा क्षेत्र के सीसीएल एरिया खिलारीराय के आवासीय परिसर क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों की समस्याओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। ...(व्यवधान) इस क्षेत्र से सरकार को करोड़ों रुपए की राजस्व प्राप्ति होती है लेकिन इस क्षेत्र में स्टाफ क्वार्टर, स्कूल, सड़क नालियों की स्थिति काफी जर्जर होती जा रही है। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा अब तक कोई मरम्मत करवाने का आदेश नहीं दिया जा रहा है। इस कारण आवासीय परिसर में रहने वाले लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है।...(व्यवधान) सीसीएल द्वारा जो स्कूल चलाया जा रहा है, पिछले कई वर्षों से वहां शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण शिक्षकों की कमी हो गई है जबकि पुराने शिक्षक रिटायर होते जा रहे हैं। इस कारण स्कूल में बच्चों को पढ़ाई करने में कठिनाई हो रही है। ...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त वर्णित सीसीएल एरिया में निवास कर रहे लोगों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाएं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री राम टहल चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सतीश चंद्र दुबे (वाल्मीकि नगर): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे लोकसभा क्षेत्र से होकर सप्त क्रांति ट्रेन दिल्ली, आनंद विहार आती है।...(व्यवधान) जब यह ट्रेन लखनऊ डिवीजन में आती है तो चार घंटे ट्रेन को डिटेन कर दिया जाता है जिससे आने वाली ट्रेन चार घंटे लेट आती है और जाने के लिए भी रोक दी जाती है। ...(व्यवधान) नरकटियागंज से गोरखपुर और नरकटियागंज से मुजफ्फरपुर जितनी पैसेंजर ट्रेन जाती हैं, आठ से दस घंटे लेट जाती हैं। इसका कारण क्या हैi

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि ट्रेन को सही समय पर चलाया जाये। ...(व्यवधान) केवल एक ही ट्रेन हमारे क्षेत्र से होकर दिल्ली आती है। ...(व्यवधान) यह बढ़िया ट्रेन है, लेकिन उसे चार-चार घंटे लेट पहुंचाया जाता है। ...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि सही समय पर ट्रेन चलवायी जाये। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री शरद त्रिपाठी और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री सतीश चन्द्र दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन और माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान ट्रेन हादसों के शिकार व्यक्तियों का रेलवे बीमा सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदया, गत दिनांक 20.11.2016 को कानपुर देहात के पुखरायन में एक बड़ा रेल हादसा हुआ, जिसमें लगभग डेढ़ सौ लोगों की जानें गयीं। ...(व्यवधान) इस तरीके से अक्सर रेल हादसें होते रहते हैं लेकिन लोगों को जानकारी न होने के कारण उन्हें जो सुविधाएं और आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, वह उनके परिवारों को नहीं मिलती है। ...(व्यवधान) जबकि ई-टिकट पर 92 पैसे लागू होने के बाद दस लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता का बीमा मिलता है। ...(व्यवधान)

मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी प्रकार की टिकटों पर 92 पैसे लेकर दस लाख रुपये तक के बीमा को सुनिश्चित कराये जाने हेतु माननीय रेल मंत्री को आदेश देने की कृपा करें, जिससे हादसे में मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को इसका लाभ मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सर्वश्री भैरों प्रसाद मिश्र, शरद त्रिपाठी और डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री देवेन्द्र सिंह भोले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। ...(व्यवधान) मेरा संसदीय क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि में काफी आगे है और मेरे यहां के बहुसंख्यक लोग सेना, अर्द्ध सैनिक बल और पुलिस में नौकरी करते हैं। ...(व्यवधान) उनके बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिल सके, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि केन्द्रीय विद्यालयों में सैक्शन्स बढ़ाये जायें या दो पारी में विद्यालय चलाये जायें, ताकि छात्रों की संख्या को देखते हुए शिक्षा का प्रसार किया जा सके। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती संतोष अहलावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Shri Ashwini Kumar Choubey – Not present.

Shrimati Riti Pathak – Not present.

… (*Interruptions*)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं राजस्थान से आता हूं और पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर का प्रतिनिधित्व करता हूं। ...(व्यवधान) देश भर का जितना पीने योग्य पानी है, उसका केवल एक प्रतिशत हिस्सा ही राजस्थान में है। ...(व्यवधान) यदि मैं पश्चिमी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो प्वाइंट 6 परसेंट पानी ही हमारे पास है। ...(व्यवधान) पूरे पश्चिमी राजस्थान को वर्षों से पेयजल की सबसे बड़ी पूर्ति जवाई बांध के माध्यम से होती है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधान मंत्री जी ने चुनाव से पहले इस बात की घोषणा की थी कि साबरमती नदी का सरप्लस वाटर हम कालीबोर बांध के माध्यम से केनाल बनाकर जवाई बांध में आपूर्ति करेंगे। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं क्योंकि यह पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही आदि सब जिलों से जुड़ा हुआ विषय है। ...(व्यवधान) इसलिए इसे शीघ्र ही राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करते हुए साबरमती नदी का सरप्लस पानी, जो बरसात के समय में समुद्र में चला जाता है, उसे कालीबोर बांध से जोड़ने के लिए एक चैनल बनाया जाये, ताकि सही टनल के माध्यम से जवाई बांध में पानी की आपूर्ति हो सके। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री देवजी एम. पटेल को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Is Prof. Saugata Roy there?

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Okay. सुदीप बन्दोपाध्याय जी, आपने अपने लोगों को वैल से विदड्रा किया है, That is why only, I am allowing you. आप लोग वैल से अंदर चले गये हैं। You cannot do both the things - be in the well and also speak.

… (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, after me, Shri Kharge will also speak. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No आप लोग वैल में रहो, चिल्लाओ और कागज भी फाड़ो। यह सब कुछ करो और फिर बोलो, No, I am sorry. मैंने कहा कि आपने वैल से अपने लोगों को विदड्रा किया है।

… (*Interruptions*)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय : हमारी पार्टी के लोग वैल से वापस आ गये हैं, इसलिए हम देखते हैं। ...(व्यवधान) जब खड़गे जी बोलेंगे, तब वे लोग भी वैल से वापस आ जायेंगे। ...(व्यवधान)

Madam, when it is the necessity of the hour, and also important, that we want to find out a solution to how the House can function and run, on the very day, in a function where you were present, Prime Minister, Narendra Modiji, uttered some comments which have hurt the opposition parties.

माननीय अध्यक्ष : आप लोग सॉल्व कर ही नहीं रहे हैं।

… (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Madam, I would like to tell you one thing. You are the custodian of the House. He has said that : "Those accusing the Government are not prepared … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Please do not mislead the House. … (*Interruptions*) Madam, he is misleading the House. … (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : The Prime Minister should withdraw and apologize. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am sorry. No, nothing doing.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Is Shri Sukhbir Singh Jaunapuria there?

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Not there, okay.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री जितेन्द्र चौधरी जी, क्या आप अपने विषय पर बोलना चाहते हैंi

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं।

श्री आर. ध्रुवनारायण जी, क्या आप अपने विषय पर बोलना चाहते हैंi

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, थोड़ा टाइम दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : नहीं। मैं एलाऊ नहीं करूंगी।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव जी भी अपने विषय पर नहीं बोलना चाहते हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. उदित राज ।

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : मैडम, मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की इजाजत दी है।

12.26 hours

(At this stage Shri Chaudhury Mohan Jatua and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table)

मैडम, मैं डॉ. अम्बेडकर की बात कोट करते हुए शुरू करूंगा।

> "I, Dr. Ambedkar, observed that many villages continue to remain sinks of localism, dens of ignorance and narrow-mindedness…"

मैडम, मैं कहना चाहूंगा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं। वर्ष 2013 में इसमें 17 प्रतिशत जम्प हुई और वर्ष 2014 में 19 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि हुई है। इसी तरीके से, इनके लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में जो रीसेंट सर्वे है, उसमें बताया गया है कि 21 प्रतिशत दलित आज कच्चे मकान में रह रहे हैं, जबकि दूसरों के मामले में ऐसा नहीं है। मैं डॉ. अम्बेडकर के कोटेशन के साथ अपनी बात खत्म करता हूं।

> "The castes are anti-national because they bring separation in social life. They are anti-national also because they generate jealousy and antipathy between caste and caste. But we must overcome all these difficulties if we wish to become a nation in reality."

Thank you, Madam.

माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरिट पी. सोलंकी को डॉ. उदित राज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषय को उठाने का मौका दिया है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपनी पार्लियामेंटरी कांस्टीट्वेंसी, जम्मू-पुंछ की ओर दिलाना चाहता हूं। जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बौखलाया हुआ पाकिस्तान निहत्थे लोगों पर अत्याचार कर रहा है। हम देखते हैं कि आए दिन पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली फायरिंग का भरपूर जवाब हमारे सैनिक देते हैं, लेकिन पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली

फायरिंग से हमारा जो नुकसान होता है, उसमें हमारे लोग मारे जाते हैं और पशुओं का भी नुकसान होता है। जब मकानों पर गोले गिरते हैं तो मकान भी गिर जाते हैं, उनका नुकसान होता है। इसके साथ ही फसल भी तबाह हो जाती है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार ने पिछले दिनों में बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, लेकिन जो पशु फायरिंग में मारे जाते हैं, वे दुधारू पशु होते हैं, उनकी कीमत 80 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक होती है। पशुओं के मारे जाने पर उसका मुआवजा कोई सरकार नहीं देती है। जब मकान पर गोला गिरता है तो उस मकान के लिए भी मुआवजा नहीं दिया जाता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन देशभक्त लोगों का क्या कसूर है, वे बॉर्डर पर खड़े हैं, निहत्थे लोग हैं। वे बॉर्डर पर उनका मुकाबला भी कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि पशुओं के मारे जाने पर मुआवजा दिया जाना चाहिए और अगर किसी के मकान का नुकसान होता है, तो उसे भी मुआवजा मिलना चाहिए। घर-घर और मुहल्ले-मुहल्ले में बंकर बनाए जाने चाहिए ताकि उनको जल्द राहत देने के लिए बंकर मिल सकें। उनको पांच मारले का प्लॉट एवं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर दी जानी चाहिए, ताकि लोगों का मनोबल बना रहे।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री आलोक संजर, श्री नागेन्द्र सिंह, श्री निशिकान्त दुबे, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री शरद त्रिपाठी, श्री राजेन्द्र अग्रवाल एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री जुगल किशोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : माननीय अध्यक्ष जी, मनुष्य के जीवन में प्रारम्भिक शिक्षा का बड़ा महत्व है।...(व्यवधान) लोक सभा के इसी सत्र में दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में जो जानकारियां दी हैं, ...(व्यवधान) उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 1,76,000 शिक्षकों की कमी है जिसमें 1,22,612 की नियुक्ति प्रदेश सरकार ने की है तथा क्रमश: बिजली, पीने के पानी, लाईब्रेरी, प्रयोगशाला व अन्य संसाधन में 38 प्रतिशत, 57 प्रतिशत, 41 प्रतिशत, 62 प्रतिशत व 20 प्रतिशत की कमी है। उसके साथ ही कक्षा 8 तक परीक्षा प्रणाली में सभी को उत्तीर्ण करके अगली कक्षा में प्रोन्नत करने की नीति के कारण शिक्षा का स्तर उ.प्र. में बहुत खराब हो गया है...(व्यवधान) जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में कक्षा 10 वीं फेल (कक्षा 8 पास) नौजवानों की बड़ी संख्या हो गयी है जिनकी जानकारी व शैक्षिक स्तर कक्षा 1-2 के विद्यार्थी के बराबर भी नहीं है।

चूंकि उत्तर प्रदेश इस देश का एक बड़ा प्रदेश है तथा यहां के लोगों की शैक्षिक स्थिति का भी बड़ा प्रभाव देश के विकास पर पड़ता है।...(व्यवधान) प्राथमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था न होने के कारण उत्तर प्रदेश में ऐसे न जानकार लोगों की संख्या करोड़ों में है और यह संख्या लगातार प्रति वर्ष बढ़ रही है, जो आने वाले समय में देश के विकास में एक बड़ी बाधा बनेगी।...(व्यवधान)

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति व शैक्षिक स्तर को ठीक करने के लिए तत्काल विशेष योजना बनाये।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Dr. Thokchom Meinya, Shri Kodikunnil Suresh, Shri P.K. Biju ... (*Interruptions*) Shri Ashwini Kumar Choubey.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : माननीय अध्यक्ष जी, कानपुर की ट्रेन दुर्घटना से पूरा देश मर्माहत है।...(व्यवधान) मैं स्वयं कानपुर गया था और वहां दुर्घटना प्रभावित लोगों से मिलने अस्पतालों में भी गया था और वहां मैंने रोगियों के हालात को भी देखा।...(व्यवधान) भारत सरकार ने रेल विभाग ने जिस प्रकार से वहां व्यवस्था की थी, उससे काफी लोग संतुष्ट थे। अध्यक्ष जी, बिहार के और आपके क्षेत्र इंदौर के भी कई लोग वहां मिले थे। साथ साथ आपके लोग वहां कह रहे थे कि हमें अध्यक्ष जी की भी सूचना आई है।...(व्यवधान) वहां लोग आपके माध्यम से मिलने गये थे। वहां के हालात मैंने देखे कि अस्पतालों में दवाइयां चल रही थीं। अस्पतालों में मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आई.सी.यू. में मरीज था और उस मरीज को वहां के डॉक्टर ने दवाई के लिए अलग से पर्चा दे रखा था। ...(व्यवधान) मुझे बाहर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कई लोग, जो वहां सेवा में लगे हुए थे, उन्होंने जब रोगियों का पर्चा दिया तो मैं अस्पताल में अंदर गया। अस्पताल के मुख्य अधीक्षक से मैंने पूछा कि यह रोगियों को पर्चा आपने क्यों दिया है?...(व्यवधान) मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और कहीं न कहीं अस्पतालों में भी जो और सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए थी, वह मैंने नहीं देखी। यहां तक कि जब स्वयं वहां के मुख्य मंत्री उन्नाव आए थे और यह इतनी बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई थी जिसमें 150 के लगभग लोग मरे हैं।...(व्यवधान) सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, कई राज्यों के लोग भी घायल हुए हैं, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने वहां आकर लोगों को नहीं देखा। यहां तक कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री भी वहां आए थे, लेकिन उनको जाने का मौका नहीं मिला। वहां हृदयविदारक दृश्य था। ...(व्यवधान)

मैं बताना चाहूंगा कि रेल मंत्री जी वहां गये थे। इस दुर्घटना की जो भी उच्च स्तरीय जांच हो रही है, यह जांच टाइम बाउंड होनी चाहिए।...(व्यवधान) जो भी दोषी लोग हैं, उनको दंडित करने का आग्रह मैं आपके माध्यम से करता हूं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री आलोक संजर, श्री नागेन्द्र सिंह, श्री जगदम्बिका पाल और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने भी अच्छी मेहनत की है और सभी ने उसके लिए सहानुभूति रखकर काम किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी मदद तो की है।

...(व्यवधान)

12.34 hours

OBSERVATION BY THE SPEAKER
Attempted contempt of the House by a person from public gallery

HON. SPEAKER: Hon. Members of the House may be aware that today at around 1120 A.M., after the House got adjourned, one Shri Rakesh Singh Baghel, resident of Nizampur, District Shivpuri, Madhya Pradesh, who was watching the proceedings from the Public Gallery of Lok Sabha, tried to jump on the floor of the House. The Security Officials of the Parliament overpowered him and took him into their custody. He may be released on warning after enquiry by Parliament Security is over.

I hope the House agrees.

… (*Interruptions*)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): अध्यक्ष महोदया, आपने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, हम उसका समर्थन करते हैं,...(व्यवधान) अनुमोदन करते हैं। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now the House stands adjourned to meet on Monday, the 28th November, 2016 at 11.00 a.m.

12.35 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, November 28, 2016/Agrahayana 7, 1938 (Saka).